UPBS120005682020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (ATUL KUMAR NAYAK),

(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02289

मूलवाद सं० 475/2020

श्रीमती सुमन सिंह बनाम लालचन्द्र आदि

24.11.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि आराजी सं० 1105क्ष रकबा 0–1–10, लम्बाई 69 फिट व चौड़ाई 29.56 फिट, प्रदर्शित अक्षरान अ,ब,स,द नक्शा नजरी वादपत्र के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10ग1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11ग1, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज सं० 12ग1/1 लगायत 12ग1/9, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज सं० 13ग1/1 लगायत 13ग1/11, छायाप्रति दस्तावेज बैनामा कागज सं० 14ग1/1 लगायत 14ग1/12, दाखिल किया गया है। खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग२ दिनांक–08.12.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग२

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती